संख्याः 3197 / 15—11—2012

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
उ0प्र0लखनऊ ।

लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 2012

शिक्षा अनुभाग—11

विषयः बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2012 तथा आगामी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन / चयन प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक—रा0शै0 / 17986 / विविध / 2012—13 दिनांक 4 सितम्बर 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबध में निर्गत शासनादेश संख्या—1456 / 15—11—2011--908 / 11 दिनांक 1—9—2011 एवं संशोधित शासनादेशा संख्या—2114 / 15—11—2011—908 / 11टी0सी0, दिनांक 07.10.2011 को अतिकमित करते हुए बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2012 हेतु आनलाइन आवेदन / चयन प्रकिया की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय संहर्ष निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

1— **बी0टी0सी0 प्रशिक्षण—**
प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण कहा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को ***e*—आवेदन पत्र** के नाम से जाना जायेगा।

2— **प्रशिक्षण हेतु आवेदन**—बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन करेंगे। सम्बन्धित जनपद का निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। उ0प्र0 के उन जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां डायट की स्थापना नहीं हो सकी है, उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने निवास से सम्बन्धित उस जनपद में आवेदन पत्र भेज सकेंगे, जिस अविभाजित पूर्व / मूल जनपद का वह हिस्सा है। इस प्रकार आवेदकों की सुविधा हेतु निम्नवत् कॉलम—1 में उल्लिखित जनपद के निवासी कॉलम—2 में उल्लिखित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आवेदन कर सकते हैं।

कॉलम—1	कॉलम—2
कांशीरामनगर	डायट, हरचन्दपुरकला—एटा
फर्रुखाबाद	डायट, छिबरामऊ—कन्नौज
चन्दौली	डायट, सारनाथ—वाराणसी
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स—बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, फैजाबाद
बलरामपुर	डायट, दजीकूआँ—गोण्डा
श्रावस्ती	डायट, पयागपुर—बहराइच
हमीरपुर	डायट, चरखारी—महोबा
छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	डायट—सुल्तानपुर

—2—

भीमनगर	*डायट—मुरादाबाद*
पंचशीनगर	*डायट—गाजियाबाद*
प्रबुद्धनगर	*डायट—मुजफ्फरनगर*

कॉलम—1 में उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन के उपरान्त कॉलम—1 में उल्लिखित जनपद का ही निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण ***हेतु काउन्सलिंग के समय*** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। नव सृजित एवं विभाजित जनपद के अभ्यर्थियों को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन में समान अवसर देने के उद्देश्य से कॉलम—2 के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर कॉलम—1 में उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा, परन्तु यदि चयन की तिथि तक कॉलम—1 में उल्लिखित जनपद के ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में एन0सी0टी0ई0 द्वारा सीट आवंटित हो जाती है, तो सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित सीट संख्या के प्रति चयन की कार्यवाही की जायेगी।

3— **आवेदन हेतु पात्रता—**

(क) **शैक्षिक अर्हता** — बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उसी जनपद के निवासी हों, जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहें हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी। बी0कॉम0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कला वर्ग में रखा जायेगा।

(ख) **आयु** — आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2012 को ***18*** वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार "यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।", देय होगी।

4— **चयन की प्रक्रिया—**

(1) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा।

(2) बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(एजी0) अथवा बी0एस0सी0(गृह विज्ञान) से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी माने जायेंगे, यदि उन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा भी विज्ञान/कृषि वर्ग से उत्तीर्ण की हो। बी0ए0/बी0काम0 उपाधिधारको को कला वर्ग में रखा जायेगा। **यदि कोई स्नातक उपाधि न तो कला वर्ग के अन्तर्गत आती है और न ही विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत आती है, तो ऐसे स्नातक उपाधिधारी अभ्यर्थियों के वर्ग का निर्धारण उनके इण्टरमीडिएट परीक्षा के वर्ग के आधार पर होगा।**

(3) जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों तथा अपने जनपद की ऐसी निजी संस्थाओं, जिनको एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा ***जारी शैक्षणिक सत्र हेतु*** सम्बद्धता प्रदान की गयी है, को आवंटित सीटों के प्रति आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुये वरीयताक्रम में औपबन्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी। ***निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु वरीयता काउन्सलिंग के समय ली जायेगी, जिस पर मेरिट के क्रम में निर्णय लिया जायेगा। काउन्सलिंग के समय डायट के स्तर पर जनपद में उपलब्ध अनुमन्य निजी संस्थान की सूची उपलब्ध होगी।***

(4) औपबन्धिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों (अंकपत्रों तथा प्रमाण पत्रों आदि) के साथ जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा जांच हेतु निर्धारित तिथि को आमंत्रित किया जायेगा। अभिलेखों की जांच के समय भराये जाने वाले जांच प्रपत्र में अभ्यर्थियों को ***जनपद में सम्बद्धता प्राप्त सूचीबद्ध निजी संस्थान*** की वरीयता (Preference) देनी होगी, परन्तु अभ्यर्थी को सीट आवंटित करने का अन्तिम अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति का होगा। एक बार संस्था/सीट आवंटन के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) सभी जनपदों में औपबन्धिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच एक ही तिथि को होगी।

(6) डायट तथा निजी संस्था हेतु अभिलेखों की जांच (काउन्सिलिंग) दो चक्र में की जायेगी। ***काउन्सलिंग के लिए उपस्थित होने पर आनलाइन आवेदन की प्रति, ई–चालान की प्रति, सभी मूल अभिलेख (अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र), फोटो आईडी, (जिसका उल्लेख आनलाइन आवेदन के समय किया हो)। काउन्सलिंग हेतु प्राप्त लैटर सहित निर्धारित तिथि को आना अनिवार्य होगा।***

(7) चयन हेतु मात्र आनलाइन आवेदन करना होगा। विज्ञप्ति जारी होने के बाद निर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

5— सीटों का आवंटन—

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों का विभाजन निम्नवत् होगा—

(क) बी0टी0सी0 चयन में 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, उनमें भी 50 प्रतिशत कला वर्ग के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, परन्तु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं, जो केवल महिलाओं हेतु है, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित किये जायेंगे।

(ख) यदि किसी श्रेणी हेतु आवंटित सीट संख्या ऐसी है कि उसका महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला में विभाजन सम्भव न हो, तो महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला का भेद न करते हुये आरक्षण का ध्यान रखते हुये सर्वोच्च गुणांक के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

6— आवेदन पत्र आमंत्रित करना —

(1) किसी भी आवेदक को हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं करना है।

(2) अभ्यर्थियों से निर्धारित ***e***–आवेदन–पत्र के प्रारूप में समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी। अभ्यर्थियों से ***e***–आवेदन पत्र ***भरने हेतु*** निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(3) ***e*—आवेदन पत्र** का प्रारूप विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा। ***अन्तिम निर्धारित तिथि को रात्रि समय 12:00 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। ई—चालान जमा करने की निर्धारित तिथि तक धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। ई—आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह का समय मात्र ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगा।***

(4) ***e—आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय स्वीकार्य नही होंगे।***

(5) ***काउन्सिलिंग के समय*** अभ्यर्थी को उस जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, जिस जनपद हेतु उसने आवेदन किया है।

(6) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएं अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को ***स्वीकार नहीं किया जायेगा।***

(7) मूल अभिलेखों की जांच जो काउन्सिलिंग के समय होगी, में के समय ***e***—आवेदन पत्र में उल्लिखित से इतर सूचनाओं ***को स्वीकार नहीं किया जायेगा।***

(8) अभ्यर्थियों द्वारा अपने ***e***—आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में ***दस रू0 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर यह शपथपत्र (जो नोटरी से प्रमाणित हो) काउन्सिलिंग के समय दिया जायेगा कि*** यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा ***काउन्सिलिंग के समय शपथपत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि*** आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत ***कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में उसी फोटो पहचान पत्र दिखाकर पुष्टि करानी होगी जिस फोटो आई0डी0 का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया है। फोटो आईडी प्रूफ से उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट में अंकित फोटो का मिलान किया जायेगा।***

(9) ***अगर किसी अभ्यर्थी का e—चालान द्वारा शुल्क स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा हो गया है तो वह एक से अधिक अथवा पुनः e—आवेदन पत्र नहीं भर सकेगा।***

(10) प्रशिक्षण में प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को रू0 10/— के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) सहित प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उ0प्र0 के .... जनपद का निवासी है, उसके द्वारा आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

7— निर्धारित शुल्क—

*(1) आनलाइन आवेदन **Submit** करने के बाद आवेदक e—आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगें और ई—चालान का प्रिंट भी आनलाइन आवेदन के क्रम में प्राप्त करेंगें, ई—चालान का प्रिंट आवेदक को आनलाइन के आवेदन के दिनांक से 48 घंटे के अंतराल के बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर ई—चालान में उल्लिखित आवेदन शुल्क की धनराशि जमा कर आवेदक की प्रति मुहर लगवाकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ई—चालान प्रिंट में दो भाग निर्दिष्ट होंगे—एक भाग "बैंक की प्रति" एवं दूसरा भाग "आवेदक की प्रति"। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंक अपनी प्रति काटकर आवेदन शुल्क जमा करने की औपचारिकताएं पूर्ण करेगा और उसी समय शेष भाग—आवेदक की प्रति मुहर लगाकर आवेदक को वापस कर देगा।*

(2) ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने पर आवेदक द्वारा बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान नही करना हैं, सेवा शुल्क की राशि आवेदन शुल्क की राशि में निहित है जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा इस कार्य हेतु रू0 20/— निर्धारित की गयी है।

(3) ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन के दिनांक/दिवस को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा नही हो सकेगा। ई—चालान एकमात्र आवेदन शुल्क भुगतान का माध्यम उपलब्ध होगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन का शुल्क का भुगतान नही किया जा सकेगा। ई—चालान जमा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ई—चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अलावा किसी भी बैंक से किया जाना सम्भव नही होगा

(4) ऑनलाइन आवेदन केन्द्रीकृत पैटर्न पर समस्त डायट के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत प्राप्त किये जायेंगे।

(5) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में *e*—आवेदन पत्र हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 200/— होगा तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रू0 400/— होगा एवं **विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा**। निर्धारित शुल्क को ***ई—चालान द्वारा मात्र स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो बैंक कार्य दिवस के बाद अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन—पत्र के अवशेष भाग में प्रविष्टि कर सकेगा।***

(6) प्रत्येक डायट प्राचार्य द्वारा ई—चालान से आवेदन शुल्क की धनराशि प्राप्त किये जाने के लिये अनिवार्यता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की निकटवर्ती शाखा में खाता खोलना है जिसकी खाता संख्या एवं IFSC कोड की सूचना एस0सी0ई0आर0टी0 को विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसके आधार पर शाखा प्रबंधक, मेन टेक्निकल ब्रांच एस0बी0आई0, लखनऊ द्वारा आवेदन शुल्क के अनुसार धनराशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर की जा सके तथा ऑनलाइन आवेदन शुल्क की धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार ***अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा।***

8— आरक्षण—

अ. अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।

ब. विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) का कोटा चयन की तिथि को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बन्धित हैं। विशेष आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक कोटे में अर्ह महिला अभ्यर्थी के स्रोत स्तर पर उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को अर्ह आवेदक पुरुष/भूतपूर्व सैनिक से भरा जायेगा, परन्तु महिला और पुरुष तथा विज्ञान और कला के 50—50 प्रतिशत विभाजन यथावत् रहेगा क्योंकि विशेष आरक्षण क्षैतिज होता है।

स. विज्ञान एवं कला वर्ग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही शासनादेश संख्या—269/15—11—10 दिनांक 4.3.2010 में दी गयी निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार की जायेगी —

(1) अनुसूचित जाति के रिक्त पदों हेतु

(क) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों को भरे जाने वाली महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन रिक्त सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला कला वर्ग की अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित नियमानुसार किया जाय।

(ख) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों, जिन पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उनके सापेक्ष महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ग) उपर्युक्त (1)(क) एवं (ख) के अनुसार सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

''उपरोक्तानुसार जनपदवार पुरुष/अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (1)(क), (1)(ख) अथवा (1)(ग) के अनुसार किया जाए।''

(2) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के संबंध में

(क) महिला अनुसूचित जनजाति विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ख) महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों पर महिला अनुसूचित जनजाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

(ग) उपर्युक्त (2)(क) एवं (ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जनजाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथास्थित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाय।

उपरोक्तानुसार जनपदवार अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त 2(क), (ख) एवं (ग) के अनुसार किया जाए।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के संबंध में

(क) महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग में विज्ञान वर्ग में अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ख) महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग में यदि अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की, विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

(ग) उपर्युक्त (3)(क) एवं (3)(ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग के कला तथा विज्ञान वर्ग की सीटों पर पुरुष/अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमशः कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथास्थित चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

उपरोक्तानुसार जनपदवार अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (3)(क), (3)(ख) एवं (3)(ग) के अनुसार किया जाय।

—7—

9— **चयन समिति के सदस्य —**

(1) प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा:—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कॉलेज/ राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, जिला मुख्यालय	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव

(2) उक्तवत् गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। **इस शासनादेश के बिन्दु–2 के कॉलम–1 में उल्लिखित जनपदों के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही यथास्थिति कॉलम–2 में उल्लिखित जनपदीय चयन समिति द्वारा की जायेगी।**

10— प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

11— **प्रशिक्षण शुल्क—**

(1) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के लिये चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रू0 4600/— होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।

(2) निजी संस्थाओं हेतु शुल्क, शुल्क निर्धारण करने के लिये गठित समिति के निर्णय के अनुसार होगा।

(3) प्रशिक्षण अनावासीय होगा।

12— प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने से पूर्व उनके *e*—आवेदन पत्र में अंकित विवरण से किया जायेगा। काउन्सिलिंग के समय ***e—आवेदन पत्र के प्रिंट कॉपी में अंकित (जिसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के समय साथ लायेगा/लायेगी) सूचनाओं के सापेक्ष सभी मूल अभिलेखो को जांच/मिलान हेतु प्रस्तुत करना होगा, साथ ही ई—चालान के आवेदक की प्रति (बैंक की मुहर लगी हुयी) को दिखाना होगा।*** इसके साथ ही प्रवेश देते समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई0डी0 से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जांच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जायेगा। चयन/जांच/ प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13— **अल्पसंख्यक संस्था** — एन0सी0टी0ई0 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था मान लिया गया है, की 50 प्रतिशत सीटों पर चयन जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर चयन इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

14— ऑनलाइन आवेदन प्रकिया संबंधी कार्य एवं दायित्व —

(क) ऑनलाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(ख) पूर्व से प्रचलित आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं की सुलभता एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा एन0आई0सी0, लखनऊ को करायी जायेगी जिससे ऑनलाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके।

(ग) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क ई—चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से कराया जाये। इस हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 सभी आवश्यक दशायें एवं शर्ते बैठक कर निर्धारित कर लें, तद्नुसार बैंक के साथ लिखित अनुबंध/MoU विधिक प्रालेख के रूप में संयुक्त हस्ताक्षरित कर अभिलेखित कर लें।

(घ) तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन के दिवस/दिनांक को अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क के लिये ई—चालान का प्रिंट प्राप्त कर सकेगा और इस प्रिंट के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा पर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(ड) तकनीकी कारणों से प्रत्येक कार्य दिवस में होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाटा फाइल्स एन0आई0सी0, लखनऊ के सर्वर से एस0सी0ई0आर0टी0 को ई—मेल द्वारा सांय 5:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होंगी। इन सभी डाटा फाइल्स को एस0सी0ई0आर0टी0 के निर्दिष्ट तकनीकी कार्मिक/सहायक द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सर्वर/ई—मेल पर ट्रान्सफर/प्रेषित करना होगा। बैंक को प्रेषित डाटा फाइल्स के आधार पर ही स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा पर ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क डाटा फाइल्स से अभ्यर्थी की पुष्टि कर जमा किया जा सकेगा।

(च) एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण—2012 हेतु विकसित सॉफ्टवेयर, जिस पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है, के द्वारा ही सॉफ्टवेयर जनित मेरिट जनपदवार प्राप्त होगी जिसके आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार चयन की कार्यवाही जनपद में डायट के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

(छ) एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक प्राचार्य डायट को एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 को लॉगइन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

15— चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है—

(1)	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों **(डायट्स)** को यथाआवश्यक निर्देश दिया जाना तथा एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराना		बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2012 हेतु शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर
(2)	*(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र/e—आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि* *(ख) ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि*		*विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह में* *e—आवेदन की अंतिम तिथि से एक सप्ताह के अन्दर*

—9—

(3)	*जनपदवार डायट्स को ऑनलाइन आवेदनों की उपलब्धता (सॉफ्टवेयर जनित मेरिट कम के साथ)*		*विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से पांच सप्ताह के अंतिम दिवस से 10 दिन के अन्दर*
(4)	डायट द्वारा काउन्सिलिंग एवं प्रवेश का चयन कार्य एवं प्रवेश पूर्ण करना		बिन्दु—3 के 15 दिन के अन्दर
(5)	निजी संस्थाओं हेतु काउन्सिलिंग एवं प्रशिक्षु आवंटन/प्रवेश पूर्ण करना		बिन्दु—4 के 15 दिन के अन्दर
(6)	प्रशिक्षण प्रारम्भ		बिन्दु—5 के एक सप्ताह के अन्दर

उक्त समय—सारिणी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2012 में चयन हेतु है। अग्रेतर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये सामान्यतः फरवरी/मार्च माह में आवेदन पत्र आमंत्रित कर चयन की कार्यवाही इस प्रकार से की जाय कि प्रत्येक दशा में 01 जुलाई से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सके। प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु चयन प्रक्रिया को दिनांक 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय। इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2012 तथा आगामी होने वाले बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ0प्र0, लखनऊं
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
5. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी/रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी0पी0सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या— संख्याः 3197/15—11—2012 दिनांक 12 सितम्बर 2012 का संलग्नक

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का मदवार विवरण

क्र0सं0	मद	प्रथम वर्ष का शुल्क	द्वितीय वर्ष का शुल्क
1	शिक्षण शुल्क (राजकोष में जमा किया जायेगा)	1200	1200
2	कॉशन मनी (रिफण्डेबल)	1000	—
3	परिचय पत्र शुल्क	50	50
4	पत्रिका शुल्क	130	130
5	क्रीड़ा शुल्क	200	200
6	क्राफ्ट शुल्क	200	200
7	विद्युत शुल्क	600	600
8	अनुरक्षण/विकास शुल्क	600	600
9	एक्सपोज़र विज़िट	—	1000
10	वाचनालय	120	120
11	विज्ञान एवं कम्प्यूटर शुल्क	500	500
	योग	**4600**	**4600**
	छात्रावास शुल्क (छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु, इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं)	1200	1200

नोट—उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है।

(सी0पी0सिंह)
अनु सचिव।